उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष

2004-2005

प्राक्कथन

इस पुस्तिका में लोक निर्माण विभाग का वर्ष 2004-2005 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के वित्तीय बजट 2004-2005 के अनुदान सं0 54, 55, 57 तथा 58 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लिये प्रस्तावित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में विभाग की स्थिति बताई गई है।

2- प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण उनके ऊपर होने वाले व्यय के वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों को यथा सम्भव संकलित करने का प्रयास किया गया है ताकि प्राविधानित धनराशि के व्यय पर अधिक अच्छा नियंत्रण रखा जा सके तथा व्यय का उपलब्धियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ।

[illegible]

विषय सूची

क्रम सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	प्रशासन	2
3	मार्ग विकास	3
	अ- मार्ग विकास नीति	4
	ब- राष्ट्रीय मार्ग	5-8
	स- महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं	9-13
4	भवन कार्य	14
5	बाह्य सहायता	15-16
6	अन्वेषणालय	17
7	कम्प्यूटरीकरण	18
8	प्रशिक्षण	19
9	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम	20-23
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	24-26
11	वित्तीय आवश्यकतायें	27-30
12	लो0नि0वि0 संगठन की संरचना(परिशिष्ट-अ)	31

भूमिका

उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का मूलभूत उददेश्य :-

यह विभाग प्रदेश में सड़कों एवं पुलों का निर्माण, पुनः निर्माण व सुधार तथा उनका रख-रखाव करता है। राज्य सरकार के कतिपय विभागों के भवनों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षरण का दायित्व भी इसी विभाग पर है। यह विभाग प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गो के अधिकतम भाग के रख रखाव के लिए भी उत्तरदायी है।

लो0नि0वि0 के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डल
1	पश्चिमी	मेरठ	मेरठ
2	उत्तर पश्चिमी	बरेली	बरेली
3	आगरा	आगरा	आगरा
4	मध्य	लखनऊ	लखनऊ
5	दक्षिण मध्य	कानपुर	कानपुर
6	फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद,
7	झांसी	झांसी	झांसी, चित्रकूट धाम
8	पूर्वी	वाराणसी	वाराणसी,
9	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर,
10	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़
11	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद
12	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कार्यरत निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम :- प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :- भवन कार्यो में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिए 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी।

प्रशासन

लोक निर्माण विभाग में प्रदेश स्तर पर प्रमुख अभियन्ता का कार्यालय स्थापित है, जिसमें अभियन्ताओं के कार्यो का समन्वय, पर्यवेक्षण तथा नीति सम्बंधी मामलों का कार्य सम्पन्न किया जाता है। प्रमुख अभियन्ता की सहायता के लिए मुख्य अभियन्ता भवन(स्तर-1), मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक(स्तर-1), मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय मार्ग (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता (डास्प एवं सोडिक स्तर-2), मुख्य अभियन्ता,मुख्यालय प्रथम व द्वितीय (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (स्तर -2), 12 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता(स्तर-2), मुख्य अभियन्ता परिवाद (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता वि./यां.(स्तर2), मुख्य वास्तुविद(मुख्य अभियन्ता,स्तर-2के समकक्ष) के पद सृजित हैं। लो0नि0वि0 संगठन की संरचना परिशिष्ट-अ मे दर्शायी गयी है।

2- विभाग की इकाई खण्ड है। प्रत्येक जिलें में 1 से 4 खण्ड स्थापित है। खण्डो की संख्या, कार्य की प्रकृति एवं परिमाण पर निर्भर होती है।

गत तीन वर्षों में लोक निर्माण विभाग के खण्डों एवं वृत्तों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

खण्डो एवं वृत्तो के प्रकार	2001-02		2002-03		2003-04	
	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त
अधिशासी (इक्जीक्यूटिव)						
मैदानी क्षेत्र के मार्ग तथा भवन	154	29	158	29	160	29
राष्ट्रीय मार्ग	27	05	25	04	23	04
विद्युत /यांत्रिक /एस.आर.पी.-2 यू0पी0-डी.ए.एस.पी. आदि	50	12	47	12	58	15
योगः-	231	46	230	45	241	48
अनाधिशासी (नान-इक्जीक्यूटिव)						
सर्वेक्षण,नियोजन, परियोजना	17	05	18	06	19	05
अन्वेषण, विश्व बैक कार्य, तकनीकी प्रकोष्ठ	02	-	02	-	02	-01-
योग	19	05	20	06	21	06
महायोग :-	250	51	250	51	262	54

3- विभागीय पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

पद	स्थायी	अस्थायी	योग
राजपत्रित	1337	519	1856
अवर अभियन्ता	4091	1017	5108
मानचित्रकार	256	189	445
नियमित कर्मचारी (समूह ''ग'' व ''घ'')	31555	-	31555
कार्यप्रभारित कर्मचारी	-	16897	16897
दैनिक वेतन भोगी -		7558	7558
योग :-	37239	26180	63419

मार्ग विकास

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गो का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में लोक निर्माण विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में उत्तरांचल राज्य सहित सड़कों की लम्बाई 15113 कि0मी0 थी जिसके सापेक्ष दिनांक 31.3.2003 को विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गो की कुल लम्बाई (उत्तरांचल छोड़कर) 1,18,063 कि0मी0 हो गयी है

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के मार्गो सहित मार्च 2003 तक उपलब्धियों का विवरण निम्नवत् है :-

उत्तर प्रदेश में मार्गों के प्रस्ताव एवं उपलब्धियों का सारांश

क्रम संख्या	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2000 तक	31.3.2001 तक	31.3.2002 तक	31.3.2003 तक
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय मार्ग	3793	3811	4860 *	4931 **
2	राज्य मार्ग	8321	9939	9098	9138
3	प्रमुख जिला मार्ग	8183	7198	7291	7251
4	अन्य जिला मार्ग	25410	25615	25702	25702
5	ग्रामीण मार्ग	62051	65470	67978	71041
	योग :-	**107758**	**112033**	**114929**	**118063**

मार्ग विकास नीति

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए सड़कों, ग्रामीण सम्पर्क मार्गों एवं पुलों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की मार्ग विकास नीति वर्ष 1998 में घोषित की गयी थी। इस नीति के क्रियान्वयन से राज्य में सुचारू परिवहन व्यवस्था के साथ-साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, कृषि उत्पाद के विपणन की सुचारू व्यवस्था से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान की जा सकेगी। मार्ग विकास नीति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम व योजनाओं को मूर्तरूप दिया जायेगा।

(क) ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर प्रदेश के एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को सन 2005 तक तथा शेष सभी गांवों को 2010 तक सर्वऋतु योग्य सड़कों से जोड़ने की योजना है।

(ख) यातायात के निर्बाध गति से चलने के लिए गड्ढामुक्त मार्गों की नितान्त आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मार्गों को गड्ढामुक्त रखने की सतत् प्रक्रिया को मार्ग नीति में विशेष बल दिया गया है।

(ग) प्रदेश के मार्गों के समुचित अनुरक्षण के लिए मार्गों का सामयिक नवीनीकरण व यातायात की आवश्यकतानुसार मार्गों का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण आवश्यक है जिसके लिए वांछित संसाधनों में बढ़ोत्तरी के लिए "सड़क निधि" की स्थापना की गयी हैं। यातायात के घनत्व के आधार पर मार्गों के श्रेणी उच्चीकरण की सतत् प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गयी हैं।

(घ) मार्गों के साथ-साथ वृहद सेतुओं के निर्माण एवं कमजोर व संकरे सेतुओं के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण किया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार रेलवे सम्पारों के स्थान पर रेल उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण भी यातायात के अबाध गति से चलने हेतु अत्यन्त आवश्यक है। शहरों के यातायात के लिए फ्लाई ओवर्स का निर्माण भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेतुओं, उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं व फ्लाई ओवर्स के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कराकर प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त विभिन्न चरणों में इनका निर्माण कराया जायेगा।

(च) घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के बाई पास, रिंग रोड व एक्सप्रेस वेज के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों एवं शासकीय निर्माण एजेंसीज के मध्य इक्विटी सहभागिता के आधार पर संबंधित योजनाओं को बी0ओ0टी0 पद्धति से निर्माण कराने की योजना है।

(छ) मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिकाधिक धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करके निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जायेगी।

(ज) विभाग के संसाधनों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि को डबटेलिंग करके वित्तीय संसाधनों के आधार का विस्तार किया जायेगा।

(झ) योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रक्रियात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन किये जायेगें जिसमें कम्प्यूटरीकरण एवं डाटा बैंक की स्थापना भी सम्मिलित है।

(ट) मार्गों के अनुरक्षण का कार्य केवल लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

राष्ट्रीय-मार्ग - वर्ष 2003-04

(31/12/03 तक की स्थिति)

वर्तमान में उत्तर-प्रदेश में (उत्तरांचल राज्य को छोड़कर) 30-राष्ट्रीय मार्ग है जिनकी लम्बाई 4931.00 कि0मी0 है, जिसका राष्ट्रीय राज मार्गवार विवरण निम्नांकित है:-

क्रम सं0	रा0मा0 सं0	राष्ट्रीय मार्ग का नाम	रा0मा0 की उत्तर-प्रदेश में कुल लम्बाई (कि0मी0)	लो0नि0वि0 के अधीन लम्बाई (कि0मी0)	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन लम्बाई (कि0मी0)		
					लो.नि.वि. के अनुरक्षण में	पूर्ण रूपेण NHAI के अधीन है	योग NHAI
1	2	दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी-मोहनिया बाढ़ी-पन्सित-वैद्यावती-बारा-कोलकाता	756.000	0.000	-	756.000	756.00
2	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इन्दौर-धुले-नासिक-थाने-मुम्बई	28.886	-	6.000	22.886	28.886
3	7	वाराणसी-मनगवाँ-रीवा-जबलपुर-लखनाडोन-नागपुर, हैदराबाद-कुरनौल-बंगलौर कृष्णागिरी-सलेम-डिंडीगुलमदुरई, कैप कोमोरिन(कन्याकुमारी)	125.200	125.200	-	-	-
4	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	42.360	42.360	-	-	-
5	19	गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर-पटना	127.400	127.400	-	-	-
6	24	दिल्ली-बरेली-लखनऊ	491.000	351.930	89.43	49.64	139.07
7	25	लखनऊ-कानपुर-झाँसी-शिवपुरी	254.600	-	190.480	64.12	254.60
8	26	झाँसी-ललितपुर-लखनादौन	131.695	-	131.695		131.695
9	27	इलाहाबाद- मनगवाँ	45.627	45.627	-	-	-
10	28	लखनऊ-फैजाबाद-बस्ती-गोरखपुर-गोपालगंज-मुजफ्फरपुर मोकामा के पास रा0मा0 सं0- 31 के जंक्शन तक	367.570	-	367.570	-	367.57
11	29	वाराणसी- गाजीपुर-गोरखपुर	209.095	209.095	-	-	-
12	56	लखनऊ-हैदरगढ़-जगदीशपुर-सुल्तानपुर-वाराणसी	276.700	276.700	-	-	-
13	58	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-बद्रीनाथ-मानापास	134.350	134.350	-	-	-
14	73	रूड़की-सहारनपुर-यमुनानगर-साहा-पंचकुला	48.890	48.890	-	-	-
15	74	हरिद्वार-नजीबाबाद-अफजलगढ़-जहांनाबाद-पीलीभीत-बरेली	180.000	180.000	-	-	-
16	75	ग्वालियर-झाँसी-छतरपुर-रीवा	17.145	-	17.145	-	17.145
17	76	पिडवारा-उदयपुर-चित्तौड़गढ़-कोटा-शिवपुरी-झाँसी इलाहाबाद	373.376	373.376	-	-	-
18	86	कानपुर-छतरपुर-सागर	144.700	144.700	-	-	-
19	87	रामपुर-बिलासपुर-पंतनगर-हल्द्वानी-नैनीताल	42.60	42.60	-	-	-
20	91	गाजियाबाद-बुलन्दशहर-खुर्जा-अलीगढ़-एटा-कन्नौज-कानपुर	408.40	408.40	-	-	-
21	92	बेवर-इटावां-ग्वालियर-(मध्य प्रदेश बार्डर तक)	73.40	73.40	-	-	-
22	93	आगरा-अलीगढ़-बबराला-चन्दौसी-मुरादाबाद	233.00	233.00	-	-	-
23	96	अयोध्या (फैजाबाद)-सुल्तानपुर-प्रतापगढ़-इलाहाबाद	153.795	153.795	-	-	-
24	97	गाजीपुर-जमानियाँ-सैयदराजा	56.20	56.20	-	-	-
25	75 का विस्तार	रीवाँ-रेनुकूट-गरवां-डाल्टनगंज-रांची	91.278	91.278	-	-	-
26	24-ए	लखनऊ बाईपास (रिंग रोड)	10.794	10.794	.	.	.
27	58 ए	दिल्ली-गाजियाबाद-वाया मोहन नगर	11.30	11.30	.	.	.

क्रम संख्या	रा0मा0 संख्या	राष्ट्रीय मार्ग का नाम	रा0मा0 की उत्तर- प्रदेश में कुल लम्बाई	लो0नि0वि0 के अधीन लम्बाई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन लम्बाई		
					लो.नि.वि. के अनुरक्षण में	NHAI	योग NHAI
28	72 ए	छुटमलपुर-मोहन्ड-देहरादून	33.00	33.00	-	-	-
29	2 ए	बारा-अकबरपुर-सिकन्दरा	39.90	000	000	39.90	**39.90**
30	56 ए 56 बी	लखनऊ-बाईपास (रिंग रोड)	22.85	.	.	22.85	**22.85**
		कुल लम्बाई	**4931.111**	**3173.395**	**802.32**	**955.395**	**1757.716**
		अर्थात्	**4931.00**	**3173.00**	**802.00**	**956.00**	**1758.00**

राष्ट्रीय मार्ग की महत्वपूर्ण योजनाएं

I- बाईपास :-

(अ) निर्माणाधीन

1.	ललितपुर बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा शहजाद नदी पर निर्मित सेतु यातायात के लिए उपलब्ध है।
2(क)	रा0मा0 24, से रा0मा0 28 को जोड़ने वाला लखनऊ बाई पास (रिंग रोड -रा0मा0 24ए) लम्बाई 10.794 कि0मी0 की स्वीकृति लागत रू0 73.73 करोड़ है। इस अतिमहत्वपूर्ण योजना में सीतापुर रोड पर इंजीनियरिंग कालेज के समीप एक 2 लेन के नये उपरिगामी सेतु (पहले से 2 लेन का उपरिगामी सेतु लगभग 2 वर्ष पूर्व बना हुआ है, इसके बगल में दूसरा बनाया जाना है); खुर्रमनगर चौराहे के समीप कुकरैल नाले पर 3 नं0 प्रत्येक 2 लेन चौड़े सेतु एवं राजकीय पालीटेक्निक चौराहे पर 4 लेन चौड़े ग्रेड सेपरेटर के निर्माण सहित 4 लेन "डिवाइडेड कैरेजवे" तथा दोनों ओर सर्विस रोड एवं ड्रेन निर्माण के साथ बाईपास मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। समस्त कार्य पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि 03/2005 है।
2(ख)	रा0मा0 28 को रा0मा0 56 होते हुए रा0मा0 25 को जोड़ने वाले लखनऊ शहर के बाईपास के भाग (रा0मा0-56ए,56बी) जिसकी लम्बाई 22.85 कि0मी0 है; का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) द्वारा किया जा रहा है। इसे पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि 10/2004 है।

(ब) प्रस्तावित

1. बरेली बाईपास की भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 1207.20 लाख की स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से 11/2001 में प्राप्त हो चुकी है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

2. वाराणसी बाईपास के संरेखण (फेज-1) का अनुमोदन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से 11/2001 में प्राप्त हुआ है, जिसकी भूमि अध्याप्ति हेतु रू0 1466.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही प्रगति पर है।

3. गाजीपुर बाईपास के निर्माण हेतु संरेखण का अनुमोदन मंत्रालय से प्राप्त हो चुका है। भूमि अध्याप्ति हेतु आगणन सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है।

4. मीरजापुर बाईपास की "फिजिबिलिटी स्टडी" के कार्य की रू0 15.82 लाख की स्वीकृति 12/ 2003 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हो चुकी है। फिजिबिलिटी स्टडी कार्य की निविदा आमंत्रित की जा रही है।

5. सहारनपुर बाईपास की फिजिबिलिटी स्टडी के कार्य की स्वीकृति हेतु रू0 49.23 लाख का आगणन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को 09/2001 में भेजा जा चुका है। आगणन की स्वीकृति मंत्रालय से अपेक्षित है।

II- सेतु निर्माण

वृहद सेतु :-

1. गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर रा0मा0-19 पर बिहार सीमा पर घाघरा नदी पर मांझी घाट सेतु एवं पहुँच मार्ग का कार्य उ0प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसे माह 04/2004 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

2. रा0मा0-24 के कि0मी0 358 में शारदा हरदोई ब्रान्च कैनाल सेतु निर्माण का कार्य माह 10/2003 में पूर्ण करके यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

3. रा0मा0 58 के कि0मी0 88 में सकौती-टाण्डा रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है; इसे माह 3/2004 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

4. रा0मा0-74 के कि0मी0 73 में गागन सेतु के पुनः निर्माण एवं पहुँच मार्ग के कार्य की स्वीकृति मंत्रालय से 11/2003 में प्राप्त हो चुकी है। कार्य की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

(III) मूल निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य :

1. वर्ष 2003-2004 में 50 मूल कार्यों को पूर्ण करने के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर 2003 तक 29 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। राष्ट्रीय मार्गो के राइडिंग क्वालिटी के स्तर में सुधार कार्य में वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए निर्धारित लक्ष्य 250.00 कि0मी0 के सापेक्ष दिसम्बर 2003 तक 225.0 कि0मी0 पूर्ण किए जा चुके है।

2 वार्षिक योजना 2003-04 मे सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय द्वारा जनवरी 2004 तक रू0 127.28 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी की गयी है।

3 वर्ष 2003-04 में राष्ट्रीय मार्गो पर नवीनीकरण कार्यो हेतु 24 आगणन अनुमानित लागत रू0 28.60 करोड़ पर 289.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृतियाँ प्राप्त हुई है, जिनका कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2003-04 मे नवीनीकरण के अन्तर्गत दिसम्बर 2003 तक 103.00 कि0मी0 मे सतह सुधार कार्य कराया जा चुका हैं।

4 वर्ष 2003-04 मे 12/2003 तक मूल कार्यो पर रू0 120.0 करोड़ आवन्टन के सापेक्ष दिसम्बर 2003 तक रू0 53.50 करोड़ का व्यय किया जा चुका है तथा अनुरक्षण कार्यो पर दिसम्बर 2003 तक रू0 23.31 करोड़ का व्यय किया गया है।

5. वर्ष 2003-04 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य :-

(अ) जनपद वाराणसी से रा0मा0-29 के कि0मी0 2.535 से 7.600 तक (गोलघर कचहरी चौराहे से आशापुर तक) मार्ग का दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य लागत रू0 441.10 लाख की प्राप्त हुई है। कार्य प्रगति पर है वर्ष 2003-04 में रू0 110.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

(ब) लखनऊ-कानपुर मार्ग (रा0मा0-25) के कि0मी0 7.9 से 11.38 तक के वर्तमान पेन्टेड मार्ग के दोनो ओर कच्चे मार्ग को पक्का करने आदि का कार्य लागत रू0 312.92 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2003-04 में रू0 150 लाख के आवंटन की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष रू0 78.23 लाख का प्राप्त हुआ है। जिसमें से दिसम्बर 2003 तक रू0 77.73 लाख का व्यय किया जा चुका है।

भुगतान प्रक्रिया :-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजनागत मूल कार्यों के लिए तथा पीरियोडिकल रिनीवल के लिए धनावंटन मंत्रालय के लखनऊ स्थित रीजनल आफिसर को प्राप्त होता है तथा भुगतान भी सीधे उन्ही के द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धन का आवंटन चेक / बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सीधे सम्बन्धित कार्यदायी खण्डों को किया जाता है।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

1- <u>नहर सेवा मार्गों को पक्का करने की योजनाः-</u>

प्रदेश में उपलब्ध नहर की पटरियों के माध्यम से यातायात सुलभ कराने के उद्देश्य से नहर की पटरियों को पक्का करके आस-पास के ग्रामों को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रदेश में वर्ष 1998-99 में 766 कि0मी0 लम्बाई में लोक निर्माण विभाग द्वारा 53 जनपदों में 197 नहर पटरियों को रू0 5938 लाख की लागत से पक्का करने की योजना स्वीकृत है। 194 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 1999-2000 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 26 जनपदों में 132 नहर पटरियों के 271 कि0मी0 लम्बाई में रू0 2275 लाख की लागत से पक्का करने की योजना स्वीकृत है। जिनमें से 124 कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

वर्ष 2000-2001 से इस योजना के अन्तर्गत कोई नए कार्य प्रस्तावित नहीं किये जा रहे है। इस वित्तीय वर्ष में अधीनीत कार्यों को पूर्ण करने हेतु कार्यवाही की गई।

2- <u>ग्रामीण मार्ग/सेतु संबंधी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की नाबार्ड वित्त पोषित योजना आर0आई0डी0एफ0-2 से 7 तकः-</u>

उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर भौतिक प्रगति का विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम सं0	योजना का नाम	कार्यों की संख्या	स्वीकृत लागत	डिलिशन के पश्चात्		12/2003 तक प्रगति (रू. करोड़ में)	
				कार्यों की सं.	लागत	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आर.आई.डी.एफ.-2						
	मार्ग	961	151.34	820	120.26	800	124.78
	सेतु	80	124.23	74	114.70	53	122.00
2	आर.आई.डी.एफ.-3						
	मार्ग	1183	111.34	1121	105.05	1121	104.74
	सेतु	25	29.84	24	29.30	17	30.50
3	आर.आई.डी.एफ.-4						
	मार्ग	1849	222.45	1733	209.28	1406	211.06
	सेतु	89	114.84	85	107.90	43	99.81
4	आर.आई.डी.एफ.-5						
	मार्ग	989	127.95	957	124.76	767	119.42
	सेतु	34	48.22	34	43.22	4	35.20
5	आर.आई.डी.एफ.-6						
	मार्ग	1468	240.53	1368	225.20	612	153.80
	सेतु	---	--	--	---	--	--
6	आर.आई.डी.एफ.-7						
	मार्ग	1684	200.66	1539	181.72	886	143.43
	सेतु	13	26.23	13	26.23	--	1.15

3- डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगरी मार्ग सुधार योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे नगरों जिनमें नगर निगम स्थापित नहीं है, के नगरीय भागों के सुधार व जल निकासी की समस्या के निदान हेतु कार्य कराये जाते हैं। इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 97-98 में किया गया था।

वर्ष 1997-98 में प्रदेश के 15 शहरों के लिए रू0 1128 लाख की लागत से 62 कि0मी0 लम्बाई के कार्य स्वीकृत किये गये, जिसमें से माह 12/2003 तक 14 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

वर्ष 1998-99 में 22 शहरों के लिए 88 कि0मी0 लम्बाई में रू0 1878 लाख के 34 कार्य स्वीकृत किये गये थे। 1 कार्य राष्ट्रीय मार्ग में परिवर्तित होने के कारण निर्माणाधीन 33 कार्यो पर माह 12/2003 तक रू0 1848 लाख का व्यय कर 32 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 1999-2000 में 4 शहरों के लिए 14 कि0मी0 लम्बाई में रू0 251 लाख के 4 कार्य स्वीकृत किये गये। इन कार्यो पर माह 12/2003 तक 254 लाख व्यय किया गया है। 3 कार्य पूर्ण है एवं शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2000-01 में इस योजना में 10 शहरो के लिए 34 कि0मी0 लम्बाई में रू. 910 लाख के 12 कार्य स्वीकृत किये गये है। 1 कार्य अन्य येाजना से पूर्ण कर लिये जाने के कारण निर्माणाधीन 11 कार्यो पर माह 12/2003 तक रू. 863 लाख का व्यय कर 10 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2001-02 में इस योजना में 2 शहरों में 3.250 कि.मी. लम्बाई में रू. 122.78 लाख के 2 कार्य स्वीकृत किये गये है माह 12/2003 तक रू. 123.88 लाख का व्यय कर 1 कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2002-03 में इस योजनान्तर्गत 1 शहर में 2.500 कि.मी. लम्बाई में रू. 65.26 लाख का एक कार्य स्वीकृत किया गया है।

4- <u>अम्बेडकर ग्राम विकास योजना (सम्पर्क मार्गों का संतृप्तीकरण) :-</u>

अनुसूचित-जाति/जन-जाति के लोगों की दयनीय आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर कई विकास कार्यक्रम संचालित किए गए। परन्तु इन वर्गों की दशा में पर्याप्त सुधार परिलक्षित न होने के कारण अनुसूचित-जाति/जन-जाति की जनसंख्या के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सीधा लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से वर्ष 1990-91 में यह योजना प्रारम्भ की गयी थी।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के प्रारम्भ अर्थात् वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक उन ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया गया, जिसमें अनुसूचित-जाति/जन-जाति की जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक थी। इस आधार पर चयनित ग्रामों के छोटे होने के कारण सृजित अवस्थापना सुविधाओं का लाभ कम जनसंख्या को मिल रहा था। जिस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड में संशोधन किया गया तथा संशोधित मापदण्ड के अनुसार जनपद के सभी ग्राम 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित-जाति/जन-जाति को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सर्वाधिक जनसंख्या वाले उन ग्रामों को चयनित किया

गया है, जिनमें अनुसूचित-जाति/जन-जाति की संख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1997-98 में यह निर्णय लिया गया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड में पुनः संशोधन किया जाए। इस निर्णय के अनुसार नगरीय क्षेत्रों को छोड़ते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से 10-10 ऐसे राजस्व ग्राम, जिनमें अनुसूचित-जाति/जन-जाति की जनसंख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी, आबादी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र (शहरी इलाकों को छोड़कर) से अपेक्षाकृत अधिक आबादी वाले 10-10 ग्रामों का चयन किया गया। किन्तु इस वर्ष अनुसूचित-जाति/ जन-जाति की 30 प्रतिशत आबादी का प्रतिबंध समाप्त किया गया।

वर्ष 2002-03 में वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 में चयनित, परन्तु असंतृप्त 2463 ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही की गयी।

5. **राज्य योजना सामान्य**

अ. **1.4.97 के पूर्व के कार्य** :- इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू. 42.6031 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक रू. 26.7184 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 10.4038 करोड़ व्यय कर 10 कार्य पूर्ण किये गये।

ब. **1.4.97 के बाद के कार्य** :- इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू. 30.00 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक रू. 27.9189 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 7.4746 करोड़ व्यय कर 22 कार्य पूर्ण किये गये।

6. **जिला योजना के कार्य**

अ. **जिला योजना सामान्य** :- इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू. 195.4370 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक रू. 61.1079 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 30.4880 करोड़ व्यय कर 551 कार्य पूर्ण किये गये।

7. **विशेष विकास पैकेजेज**

इस योजना के चारों विशेष पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू. 37.5132 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक रू. 18.7108 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 7.4683 करोड़ व्यय कर 9 कार्य पूर्ण किये गये।

अ. **बुन्देलखण्ड विकास पैकेज** :- वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू. 10.5302 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक रू. 6.00 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 2.5940 करोड़ व्यय कर 3 कार्य पूर्ण किये गये।

ब. **पश्चिमांचल विकास पैकेज** :- वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू. 13.2211 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक रू. 3.3783 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 1.3671 करोड़ व्यय कर 3 कार्य पूर्ण किये गये।

स. **मध्यांचल विकास पैकेज** :- वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू. 6.0265 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक रू. 4.1998 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 0.3660 करोड़ व्यय कर 2 कार्य पूर्ण किये गये।

द. **पूर्वांचल विकास पैकेज** :- वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू. 7.7354 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक रू. 5.1329 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 3.1412 करोड़ व्यय कर 1 कार्य पूर्ण किये गये।

8. **केन्द्रीय मार्ग निधि**

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में अधिनीत कार्यो हेतु रू. 62.1932 करोड़ एवं नये कार्यो हेतु रू. 15.00 करोड़ तथा प्रोराटा हेतु 0.9329 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक अधिनीत कार्यो हेतु रू. 61,2450 करोड़ का आवंटन निर्गत किया गया है एवं रू. 45.7307 करोड़ व्यय कर 4 कार्य पूर्ण किये गये। इस योजना के अन्तर्गत कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

9- **बार्डर एरिया डवलेपमेन्ट :-**

इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में अधिनीत कार्यो हेतु रू. 0.65 करोड़ एवं नए कार्यो हेतु रू. 16. 9016 करोड़ की बजट व्यवस्था के सापेक्ष माह दिसम्बर 2003 तक अधिनीत कार्यो हेतु रू. 0.4371 करोड़ का आंवटन निर्गत किया गया है तथा रू. 0.1587 करोड़ का व्यय करके अभी तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस योजना के अंन्तर्गत कोई भी नया कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

10- <u>मार्ग एवं सेतुओं का अनुरक्षणः-</u>

<u>प्रदेश की सडकों की मरम्मत करने और उन्हें गड्ढामुक्त करने की योजनाः-</u>

राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के अधीन की लम्बाई को छोड़कर वर्तमान में प्रदेश में लो0नि0वि0 के अधीन 1,11,235 कि.मी. का विशाल सड़क जाल है, जिसमें 3273 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग, 9,609 कि0मी0 राज्य मार्ग व 7305 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग, 25,418 कि.मी. अन्य जिला मार्ग व 65,630 कि.मी. ग्रामीण मार्ग सम्मलित है। इन मार्गो का रख रखाव विभाग द्वारा किया जाता है। यातायात घनत्व अधिक बढ़ जाने के कारण एवं संसाधनों की कमी के कारण इन मार्गो का समुचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा था। इससे जन-सामान्य भी काफी प्रभावित था व आवागमन में जन-सामान्य को काफी परेशानी हो रही थी। इस दृष्टिकोण से वर्तमान में मार्गो को गढढामुक्त करने का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सभी राष्ट्रीय मार्ग,राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गो को गढढामुक्त रखा जा रहा है एवं अधिक से अधिक नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसको एक सतत प्रक्रिया के रूप में लिया गया है। धनाभाव के कारण सभी ग्रामीण मार्गो तथा कम महत्वपूर्ण अन्य जिला मार्गो को इस अभियान में सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

वर्ष 2003-04 में सड़को/सेतुओं के अनुरक्षण मद में बजट में प्राविधानित धनराशि रू. 126.00 करोड़ के अन्तर्गत राज्य मार्गो का नवीनीकरण, मार्गो को गड्ढामुक्त किये जाने का कार्य, पान्टून पुल/फेरी का अनुरक्षण, रेलवे सम्पारों का अनुरक्षण, विशेष मरम्मत आदि के कार्य कराये जा रहे हैं। राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 300 करोड़ से ग्रामीण मार्गो का नवीनीकरण /सुधार का कार्य एवं राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्गो/अन्य जिला मार्गो के नवीनीकरण एवं मार्गो पर विशेष मरम्मत का कार्य, कोर रोड नेटवर्क के मार्गो का सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक क्षेत्र के मार्गो का सुधार, क्षतिग्रस्त सेतुओं एवं पान्टून फेरी की विशेष मरम्मत, 11 नगर निगमों के शहरी मार्गो का हाट मिक्स प्लान्ट से नवीनीकरण/ निर्माण, जनपद मुख्यालयों को तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं रोड सेफ्टी के कार्य कराया जा रहा है। इस वर्ष राज्य मार्गो/प्रमुख जिला मार्गो

एवं अन्य जिला मार्गो को पी-2/एस.डी.सी. से नवीनीकरण हेतु अनुमोदित 4927 कि0मी0 के सापेक्ष माह 12/2003 तक 2800 कि.मी. नवीनीकरण किया जा चुका है।

9- <u>प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :-</u>

इस योजना का शुभारम्भ वर्ष 2000-01 में हुआ था। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 1000 व इससे अधिक जनसंख्या वाली सभी बसावटों(हैबीटेशन) को वर्ष 2003 तक तथा 500 से 999 तक जनसंख्या वाली सभी बसावटों को 2007 तक उच्च- गुणवत्ता के सर्वऋतु योग्य सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस योजना का कियान्वयन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2000-01 (फेज-1) की योजना में जिला योजना के अधिनीत कार्यों हेतु रू. 315 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2002-03 में उपलब्ध धनराशि का उपयोग कतरे हुए 5047 कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना में 5214 कि0मी0 नई सड़क निर्माण एवं 2998 कि0मी0 उच्चीकरण का कार्य सम्पादित कराया गया जिसके फलस्वरूप 2485 बसावटें सम्पर्क मार्गो से जुड़ी एवं 1533 बसावटें लाभान्वित हुई।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 (फेज-2) की योजना में प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु 1539 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा रू. 639 करोड़ की प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष प्रदेश को रू0 594.76 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। इस योजना में लोक निर्माण विभाग को 56 जनपदों में मार्ग निर्माण हेतु रू. 479.62 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गयी। कुछ बसावटों का अन्य योजना में जुड़ जाने के कारण इस योजना के 1115 कार्य जिनकी कुल लम्बाई 1964 कि.मी. एवं लागत रू. 404 करोड़ है, निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2002-03 में लोक निर्माण विभाग द्वारा 160 कार्य पूर्ण कर 217 कि.मी. सड़क लेपन स्तर तक पूर्ण की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2003-04 में माह दिसम्बर तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 916 कार्य पूर्ण कर 1525 कि0मी0 लम्बाई लेपन स्तर तक पूर्ण कर रू0 326 करोड़ का व्यय कर लिया गया है। इस योजना के अवशेष 199 कार्य मार्च 2004 तक पूर्ण किए जाने प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 /2003-04 (फेज-3) की योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में 2223 कार्यों जिनकी लम्बाई 4540 कि.मी. हेतु 1019.80 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार द्वारा निर्गत की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 40 जनपदों में 1310 कार्य जिनकी कुल लम्बाई 2563 कि0मी0 एवं लागत रू0 552 करोड़ है, का कार्य धन प्राप्त होने के उपरान्त वर्ष 2004-05 में सम्पादित कराया जायेगा।

भवन विंग संगठन एवं विवरण

1. भवन विंग संगठनः-

भवन निर्माण का कार्य जनपदों में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा सम्पादित किया जाता है।मुख्यालय पर समीक्षा एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियन्ता 'भवन' (स्तर-एक) के अधिकारी तैनात है, जिनके अधीनस्थ भवनों की समीक्षा एवं परिकल्पना के लिए अधिकारी उपलब्ध है।

2- भवन कार्यों का विवरण

(अ) भवन निर्माण :-

भवन विंग द्वारा राज्य के चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, पर्यटन, पुलिस, कृषि, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा- विश्व बैंक पोषित, न्याय, राजस्व आदि विभागों के विभिन्न प्रकार के अवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य तथा लो0नि0 विभाग की स्वयं की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जाता है। इन निर्माण कार्यो का वित्तीय प्राविधान लो0नि0वि0 के अथवा सम्बन्धित विभाग के आय-व्ययक में होता है।

(ब) भवन अनुरक्षणः-

विभाग द्वारा लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी भवन, राजभवन, माननीय उच्च न्यायालय, के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम, विधान भवन तथा लो0नि0वि0 की स्वयं की सभी आवासीय कालोनियों के रख रखाव का कार्य भी सम्पादित कराया जाता है। अन्य जनपदों में पूल्ड आवास तथा लो0नि0वि0 के अन्य सभी भवनों तथा सर्किट हाउस व निरीक्षण भवनों के रख रखाव का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। जनपद इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग के भवनों का रख-रखाव भी विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

लो0नि0वि0 एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों से सम्बन्धित कार्यो हेतु वर्ष 2003-04 में कुल बजट प्राविधान रू. 67.57 करोड़ किया गया है, जिसमें आयोजनागत कार्यों हेतु रू.0 6.61 करोड़ एवं आयोजनेत्तर कार्यों हेतु रू. 60.96 करोड़ का प्राविधान है जिससे भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव आदि का कार्य कराया जा रहा है। राज्य सम्पत्ति विभाग के महत्वपूर्ण अनावासीय /आवासीय भवनों के रख-रखाव तथा साज सज्जा आदि के लिए रू0 1.50 करोड़ पुनर्विनियोग से तथा रू. 3.50 करोड़ अनुपूरक मांग से अतिरिक्त व्यवस्था करने हेतु प्रस्तावित है।

इस वर्ष पूल्ड आवास योजना तथा अन्य आयोजनागत कार्यो के लिये रू0 चौदह करोड़ पैसठ लाख (रू0 14.65 करोड़) का प्रस्ताव है। भवनों के अनुरक्षण के लिये रू0 पैसठ करोड़ उनसठ लाख (रू0 65.59 करोड़) का प्रस्ताव है, जिसमें से राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन आने वाले आवासीय तथा अनावसीय भवनों के लिये रू0 सैतीस करोड़ चौतीस लाख (रू0 37.34 करोड़) का प्राविधान किया गया है तथा रू. चार करोड़ तिराबने लाख (रू. 4. 93 करोड़) के नये कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। इस प्रकार भवनों के निर्माण एवम् अनुरक्षण हेतु रू0 छियासी करोड़ सत्रह लाख (रू0 86.17 करोड़) का प्राविधान है।

बाहय सहायतित कार्य (राष्ट्रीय मार्ग के कार्य को छोड़कर)

1- विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II के कार्य

प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर अन्य श्रेणियों के मार्गो की लगभग 7000 कि0मी0 लम्बाई का एक ऐसा कोर रोड नेटवर्क है जिस पर प्रदेश का ज्यादातर अर्न्तराज्यीय यातायात संचालित होता है। इस कोर रोड नेटवर्क के लगभग 3500 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो के उच्चीकरण एवं वृहद् रखरखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व बैंक से भारत सरकार के माध्यम से ऋण दिया जाना स्वीकृत है। इस परियोजना अर्थात स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II का निष्पादन दो चरणों में किया जाना है :-

प्रथम चरण :- 374 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का उच्चीकरण एवम् 808 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का वृहद रखरखाव प्रस्तावित है।

द्वितीय चरण - 579 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का उच्चीकरण, 1766 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का वृहद रखरखाव, 20 कि0मी0 लम्बाई में चार बाई-पासों का निर्माण तथा 5 दीर्घ सेतुओं का निर्माण गंगा, यमुना, घाघरा व शारदा जैसी प्रमुख नदियों पर प्रस्तावित है।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 295200 लाख हैं इसमें से रू0 234200 लाख की धनराशि विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी तथा अवशेष धनराशि उ0प्र0 सरकार द्वारा निजी संसाधनों के माध्यग से वहन की जायेगी। इस लोन के प्रभावी होने की तिथि 02.04.2003 है तथा समाप्ति की सम्भावित तिथि 31.12.2008 है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिट्रोऐक्टिव फाइनेन्सिंग के माध्यम से इस परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 16 पैकेजों के द्वारा 779 कि0मी0 लम्बाई में वृहद रखरखाव का कार्य रू0 31480 लाख धनराशि का, चार पैकेजों के द्वारा **374.0** कि0मी0 लम्बाई में अपग्रेडेशन का कार्य रू0 55500 लाख एवं इस परियोजना के गठन हेतु प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटिंग **कन्सलटेन्सी** हेतु रू. 3736 लाख की धनराशि का कार्य रिट्रोऐक्टिव फाइनेन्सिंग के माध्यम से स्वीकृत है। वृहद रख-रखाव के 12 **पैकेजों** में एवं अपग्रेडेशन के 4 पैकेजों में कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना पर मार्च, 2002 तक कुल रू. 2769 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2002-03 में रू. 6766 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष रू. 6091 लाख धनराशि का व्यय किया गया एवं वर्ष 2002-03 में 88.00 कि0मी0 लम्बाई में वृहद रखरखाव का कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध 92.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का चौड़ीकरण एवं 67 कि0मी0 लम्बाई में बिटूमिनस मैकेडम का कार्य कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2003-04 में स्टेट रोड प्रोजेक्ट-2 के कार्यो हेतु रू. 48593.42 लाख धनराशि का बजट प्राविधान रखा गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2003 तक रू. 10174 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2003-04 में रू0 21896 लाख धनराशि के व्यय करने का पुनरीक्षित अनुमान है। वर्ष 2003-04 में 413.0 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का वृहत रखरखाव का कार्य एवं 50.00 कि.मी. मार्गो का सुधार /उच्चीकरण का कार्य कराये जाने का लक्ष्य हैं जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2003 तक 156.00 कि.मी. लम्बाई में वृहद रखरखाव का कार्य पूर्ण कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु इस परियोजना हेतु निर्धारित रू. 55000 लाख परिव्यय के सापेक्ष रू. 43229 लाख का बजट प्रस्ताव है जिसके विरूद्ध 350.00 **कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का वृहत रख रखाव** का कार्य एवं 125.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्गो का सुधार /उच्चीकरण का कार्य कराये जाने का **लक्ष्य है।**

2- ऊसर भूमि सुधार योजना एवं यू0पी0 डी0ए0एस0पी0:-

" बाहय सहायतित ऊसर भूमि सुधार योजना'' के अन्तर्गत 938 कि0मी0 लम्बाई के सम्पर्क मार्गों का निर्माण एवं 202 कि.मी. अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में वर्ष 2003-2004 तक 597 कि.मी. (लो0नि0वि0 417 कि. मी.+ रा.नि.वि. 180 कि0मी0) पूर्ण किए जा चुके है एवं वर्ष 2004-05 में 261 कि.मी. (लो0नि0वि0 176 कि.मी.+ रा.नि. नि.-85 कि.मी.) कि.मी. मार्ग पूर्ण 40 कि.मी. अनुरक्षण किया जाना लक्षित है।

" यू0पी0डी0ए0एस0पी0'' के अन्तर्गत 32 जनपदों में कुल 2631 कि0मी0 सम्पर्क मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव के सापेक्ष वर्ष 2003-2004 तक 2631 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो गया है।

उक्त दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन लो0नि0वि0 के 5 वृत्त व 17 खण्डों द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

उपरोक्त दोनों परियोजनायें कृषि विभाग की है। लोक निर्माण विभाग मात्र कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा कार्य निक्षेप कार्यों के रूप में सम्पादित कराये जा रहे है।

अन्वेषण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

1- अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग एवं रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड क्वालिटी प्रमोशन सेल के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण स्थल की मिट्टी ,भवनों, मार्गो तथा सेतुओं के निर्माण कार्यों के प्रयोग में आने वाली सामग्री का परीक्षण करना तथा उनकी संरचना की परिकल्पना करना है, जो कि विभिन्न तकनीकी कमियों को दूर करने तथा नयी तकनीक के संचार करने में प्रमुख भूमिका निभाता है।

2. वर्ष 2003-2004 में 24.01.04 तक सम्पन्न कार्य कलापों का विवरण निम्न प्रकार है:- अन्वेषणालय में कोडिंग सेक्शन से प्राप्त 305 नमूनों को सम्मिलित करते हुए कुल 443 विभिन्न निर्माण सामग्री नमूनों का परीक्षण किया गया।

57 कि0मी0 पूर्व निर्मित मार्गों की सतह की राइडिंग क्वालिटी ज्ञात करने हेतु रफोमीटर से रफनेस इन्डेक्स परीक्षण किया गया।

3- रिसर्च डेवलपमेन्ट एवं गुणवत्ता क्वालिटी प्रमोशन प्रकोष्ठ में दिनांक 24.1.2004 तक क्षेत्रीय प्रयोगशाला मेरठ में कुल 215 विभागीय तथा गैर विभागीय सामग्री नमूनों का परीक्षण किया गया तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की केन्द्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में 174 नमूनों को सम्मिलित करते हुए कुल 389 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त कुल 103 कि0मी0 मार्ग का बैकिलमैनबीम डिफ्लेक्शन टेस्ट से आवरले डिवाइजन की गयी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को सम्मिलित करते हुए मार्ग निर्माण से पूर्व मित्व्ययी परिकल्पना करने हेतु 321 मिट्टी के नमूनों की भार वहन क्षमता ज्ञात करने के लिए आप्टिमम म्वायश्चर कन्टेंट (ओ0एम0सी0) तथा कैलिफोर्निया वीयरिंग रेशियों (सी0बी0आर0) परीक्षण अत्यन्त अल्प अवधि में विभिन्न प्रयोगशालाओं में सम्पन्न कराया गया।

4- जनपदों में स्थापित प्रयोगशालाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनमें 3774 नमूनों की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया।

5- वर्ष 2004-05 में 3000 नमूनों को परीक्षित करने का लक्ष्य है तथा जनपदीय प्रयोगशालाओं में अधिक से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण करने हेतु लगभग 4000 नमूनों का परीक्षण जनपदों में सम्भावित है।

6- नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं के एक बैच को आधारभूत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं अवर अभियन्ता (वि0 यां0) को सिविल कार्यों हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7- शासन एवं विभाग द्वारा सन्दर्भित महत्वपूर्ण जॉच कार्य सम्पादित कराये गये। जैसे कि जनपद गाजीपुर तथा बस्ती के समस्त अम्बेडकर ग्रामों में मार्ग निर्माण कार्य का सत्यापन किया गया एवं जनपद इलाहाबाद में गढ्ढा मुक्ति अभियान के सत्यापन सहित जनपद इटावा में करीं छिमारा मार्ग तथा औरैया में दिबियापुर बेला रसूलाबाद मार्ग की तकनीकी जॉच सम्पादित हुई।

कम्पयूटरीकरण

विभाग के कम्यूटरी करण के कार्य पर कम्यूटर ग्रुप द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार विभाग में कम्यूटरीकरण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण के अन्तर्गत केवल आगरा, वाराणसी, लखनऊ क्षेत्र, मुख्यालय एवं शासन स्तर तक हार्डवेयर क्रय तथा एप्लीकेशन साफ्टवेयर डेवलप करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष कार्य द्वितीय चरण में किए जाने प्रस्तावित है।

प्रथम चरण की कार्य योजना की लागत रू. 567 लाख व द्वितीय चरण की कार्य योजना रू0 4304 लाख की है जो कि वर्ष 2008 तक पूर्ण होगी।

प्रथम चरण के कम्यूटरीकरण हेतु हार्डवेयर स्थापित कर दिया गया है तथा सभी साफ्टवेयर डिजाइन कर दिये गये हैं। बैंक ऐंड में एम0एस0 सिक्वल सरवर 2000 में डाटाबेस का खाका पूर्णरूपेण तैयार है तथा फ्रन्ट ऐंड में वी0बी0 पर डाटा इन्ट्री फार्म, ट्रान्जेक्शन इन्ट्री फार्म तथा रिपोर्ट जेनरेशन फार्म तैयार है। इन फार्मों में मास्टर डाटा भरकर उनकी टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें सभी मॉड्यूल से सम्बन्धित अधिकारी इन्वाल्व रहे हैं, जिससे उन्हें सिस्टम का प्रारम्भिक ज्ञान हो गया है। बेसिक डाटा बैंक बनाने हेतु ट्रांजक्शन डाटा एकत्रित कर इंट्री करायी जा रही है। वर्ष 2004-05 में यह स्टेज पूर्ण हो जायेगी तभी विभाग हेतु इस कम्यूटरीकरण कार्य का प्रत्यक्ष लाभ प्रदर्शित होने लगेगा। वैसे वर्तमान में खंड विशेष में कम्यूटर उपलब्ध हो गये है तथा यह कम्यूटर स्टैण्ड एलोन के रूप में कार्य भी कर रहें है। विभाग के लगभग 250 कर्मचारियो/अधिकारियों को इस फेज के अन्तर्गत प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया है, इससे वही कर्मचारी तथा अधिकारी धीरे-धीरे कम्यूटर फैंडली हो गये है तथा दैनिक कार्य भी कम्यूटर से कर रहें हैं।

वर्ष 2004-05 में विभाग के प्रत्येक खण्डीय कार्यालयों, वृत्तों व क्षेत्रीय कार्यालयों को मैसर्स टी0सी0एस0 द्वारा बनाये गए एपलीकेशन साफ्टवेयर के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता /शासन से आन-लाइन जोड़े जाने की योजना है।

वर्ष 2004-2005 में समस्त मार्गो के विवरण /कर्मचारियों /अधिकारियों के सेवा विवरण, बजट, लेखा, कार्यों की प्रगति आदि पूर्णतयः कम्यूटराइज किए जाने की योजना है। वर्ष 2004-2005 में ही विभागीय बेवसाइट डब्लू.डब्लू.डब्लू. यू0पी0पी0डब्लू0डी0, निक-इन को उच्चीकृत किए जाने की भी योजना है। वर्ष 2004-2005 में विभाग के कुछ प्रमुख मार्गो को पूर्णतयाः डिजीटाइज किए जाने की भी योजना है। वर्ष 2004-05 हेतु मद संख्या 46 व 47 के अन्तर्गत धन की मांग निम्नवत् है।

मद संख्या 205980001	030046	रू0 736 लाख
मद संख्या 205980001	040046	रू0 1831 लाख
	योग	रू0 2567 लाख
मद संख्या 205980001	030047	रू0 64 लाख
मद संख्या 205980001	040047	रू0 159 लाख
	योग	रू0 223 लाख
	कुल योग :-	**रू0 2790 लाख**

प्रशिक्षण कार्यक्रम

नवीनतम तकनीकी विकास की दृष्टि से विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ता एंव उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने के कार्यक्रम चलाये जाते है। भविष्य में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं को भर्ती के समय ही आधार भूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की योजना है। इन प्रशिक्षणों से अधिकारियो/ कर्मचारियों को बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय नियम एवं विभागीय कार्य प्रणाली तथा कम्पयूटर तकनीक का ज्ञान हो सकेगा, जिससे वे कुशलतापूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यो का सम्पादन कर सकेगे ।

मुख्य रूप से निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है ।

1- राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान नोएडा में समय-समय पर कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

2- केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान , दिल्ली मे कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिकारियो कों प्रशिक्षण दिलाया जाता है ।

3- नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान , लखनऊ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रशिक्षण लिया जाता है ।

4- राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर, लखनऊ द्वारा समय-समय पर आयोजित विभिन्न प्रशासकीय प्रशिक्षणों में विभागीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

5- नव-नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को आधारभूत प्रशिक्षण विभाग द्वारा अन्वेषणालय /इमडप में कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारतीय सड़क कॉग्रेस, इन्स्टीट्यूशन आफ इन्जीनियर्स, इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट आदि संस्थानों द्वारा आयोजित वार्षिक अधिवेशनों में कनिष्ठ एंव वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है। विभिन्न संस्थानों के द्वारा आयोजित अल्प अवधि के प्रशिक्षणों / सेमिनारों में भी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी । सेतु निगम ने अपने कार्यकलापों को प्रदेश एवं देश मे ही सीमित न रखकर नेपाल, यमन, ईराक आदि तक बढ़ाये हैं ।

1- वर्ष 2002-03 , 2003-04, 2004-05 में निगम द्वारा निम्न कार्य किये गये/प्रस्तावित हैं :-

(धनराशिः- रू. करोड़ में)

क्र.स.		2002-2003			2003-2004			2004-2005		
		निक्षेप	निविदा	कुल	निक्षेप	निविदा	कुल	निक्षेप	निविदा	कुल
1	लक्षित कार्यभार	100.00	125.00	225.00	100	150	250	200	150	350
	प्राप्त कार्यभार	56.87	110.00	166.87	54.66	88.21	142.87			
					(12/2003 तक)					
2	लक्षित कार्यो की सख्या	47	11	58	45	14	59	70	15	85
	प्राप्त कार्यो की संख्या	18	7	25	17	3	20			
					(12/2003 तक)					

2- सेतु निगम द्वारा वर्ष 2003-04 में 45 सेतुओं को पूर्ण करते हुए रू. 100.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य रखा है जिसका योजनावार विवरण निम्नानुसार है इनमे से दिसम्बर , 2003 तक 17 सेतुओं को पूर्ण करते हुए रू. 54.66 करोड़ का व्यय किया गया है ।

(लागत करोड़ रु0 मे)

क0सं	योजना का नाम	वर्ष 2003-04 का निर्धारित लक्ष्य		लक्ष्यों के सापेक्ष 12/03 तक उपलब्धि	
		कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय
1	नाबार्ड 2	1	7.00	0	0.24
2	नाबार्ड.3	2	5.00	0	0.00
3	नाबार्ड.4	10	15.00	4	2.95
4	नाबार्ड--5	11	15.00	3	6.91
5	नाबार्ड--7	2	4.00	0	2.34
6	आयोजनागत	6	18.00	3	8.70
7	डाकूग्रस्त क्षेत्र योजना	0	5.00	0	1.25
8	रेलवे सुरक्षा निधि	2	15.00	1	15.80
9	अन्य निक्षेप	9	9.00	6	10.30
	योग	43	98.00	17	48.49
10	पूर्वांचल विशेष पैकेज	1	3.00	0	2.30
11	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	0	2.00	0	2.10
12	मध्यांचल विशेष पैकेज	1	2.00	0	1.76
13	पश्चिमांचल विशेष पैकेज	0	0.00	0	0.01
	योगः-	2	7.00	0	6.17
14	उत्तरांचल	0	0.00	0	0.00
15	बी0ओ0टी0	0	0.00	0	0
	योगः-	45	100.00	17	54.66
16	निविदा	14	150.00	3	88.21
	महायोगः-	59	250.00	20	142.87

3 सेतु निगम द्वारा वर्ष 2004-2005 में 70 निक्षेप कार्यो को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है एवं निक्षेप कार्यों पर रू. 200.00 करोड़ व्ययभार करने का लक्ष्य निर्धारित है इसके अतिरिक्त 15 निविदा कार्यो को पूर्ण करने हेतु रू.150.00 करोड़ व्ययभार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है योजनावार विवरण निम्नानुसार हैं :-

(धनराशि करोड़ में)

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2004-2005 के लिये निर्धारित लक्ष्य	
		कार्यो की संख्या	कार्यों पर व्यय
1	नाबार्ड-2	2	5.00
2	नाबार्ड-3	2	3.00
3	नाबार्ड-4	12	15.00
4	नाबार्ड-5	8	5.00
5	नाबार्ड-7	3	15.00
6	आयोजनागत(राज्य सेक्टर)	8	25.00
7	केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत रेलवे उपरिगामी सेतु	3	6.00
8	रेलवे सुरक्षा निधि	3	15.00
9	अम्बेडकर ग्राम विकास योजना	2	4.00
10	राज्य सेक्टर में सड़क कार्य हेतु	0	55.00
11	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत सेतु	10	10.00
	योग	**53**	**158.00**
12	पूर्वांचल विशेष पैकेज	4	10.00
13	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2	8.00
14	मध्यांचल विशेष पैकेज	2	2.00
15	पश्चिमांचल विशेष पैकेज	1	0.50
	योगः-	**9**	**20.50**
16	अन्य निक्षेप	6	10.50
17	एसाइड योजना	0	6.00
18	पूर्वान्चल विकास निधि	2	5.00
19	उत्तरांचल	0	0.00
	योग :-	**8**	**21.50**
	योग निक्षेप कार्य	**70**	**200.00**
20	निविदा	15	150.00
	महायोगः-	**85**	**350.00**

4- निविदा कार्यः- सेतु निगम द्वारा उत्तर प्रदेश व भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में खुली निविदा के आधार पर निम्न कार्य प्रगति पर है। (धनराशि रू. करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	कार्यो की संख्या	कार्यों का मूल्य
1	उ0प्र0 के निविदा कार्य	9	35.92
2	अन्य प्रदेशों में निविदा कार्य	24	512.84
	योगः-	**33**	**548.76**
	वर्ष 2003-04 में पूर्ण किये गये सेतु कार्य	3	88.21
	वर्ष 2004-05 में पूर्ण करने का लक्ष्य	15	150.00

वर्तमान में 33 निविदा कार्य प्रगति में है। जिनकी कुल लागत रू. 548.76 करोड़ है इसमें से वर्ष 2004-05 में रू. 150.00 करोड़ कार्यभार के सापेक्ष 15 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। निविदा के अन्तर्गत प्राप्त नये कार्यों को आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत चार पैकेज में कार्य प्रगति पर है जो निम्न है :-

5- बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज में दो परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लागत रू. 11.17 करोड़ है तथा कार्य प्रगति पर है।

6- मध्यांलच विशेष पैकेज के अन्तर्गत तीन परियोजनाओं का कार्य प्रगति में है जिनकी लागत रू. 4.29 करोड़ है।

7- पूर्वान्चल विशेष पैकेज के अन्तर्गत 7 सेतुओं की स्वीकृति रू. 16.75 करोड़ प्राप्त हुयी है जिसमें से 4 सेतुओं का कार्य प्रगति में हैं शेष आरम्भ किये जा रहे है।

8- पश्चिमांचल विशेष पैकेज के अन्तर्गत एक सेतु का निर्माण किया जा रहा है जिसकी लागत रू. 0.68 करोड़ है। कार्य प्रगति में है।

9- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में 7 सेतुओं की स्वीकृति लागत रू. 10.59 करोड़ की प्राप्त हुयी है, इन कार्यों को आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

10- **रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतु**:- वर्तमान में 10 रेल उपरिगामी /अधोगामी सेतुओं का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त एसाइड योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित जनपद आगरा में रेलवे उपरिगामी सेतु शास्त्रीपुरम् अतरौनी मार्ग पर निर्माण किए जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुयी है जिसकी लागत रू. 12.94 करोड़ है, जो आरम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

11- <u>बाहय श्रोतों से वित्तीय संसाधन :-</u> नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.- 2 के 80 सेतुओं की लागत रू. 139.04 करोड़ एवं आर.आई.डी.एफ.- 3 के 25 सेतुओं की लागत रू. 30.70 करोड़ योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 105 सेतुओं के सापेक्ष नाबार्ड-2 में 74 सेतु एवं नाबार्ड-3 में 24 सेतु कुल 98 सेतुओं का निर्माण किया जाना था। नाबार्ड -2 के 74 सेतुओं में 72 सेतु पूर्ण किए जा चुके हैं तथा नाबार्ड -3 के 24 सेतुओं में से 22 सेतुओं में से 22 सेतु पूर्ण किए जा चुके है। नाबार्ड-2 के 74 सेतुओं में से 55 सेतुओं के पहुँच मार्ग पूर्ण किए जा चुके हैं तथा नाबार्ड-3 के 22 सेतुओं में 17 सेतुओं के पहुँच मार्ग पूर्ण किए जा चुके है। शेष कार्य प्रगमि में है।

नाबार्ड-4 (आर0आई0डी0एफ0-4) के अन्तर्गत 86 सेतुओं का निर्माण किया जाना है जिनकी लागत रू. 110.86 करोड़ है। जिसमें 68 सेतुओं को पूर्ण किया जा चुका है। उत्तरांचल में एक सेतु बनाया जाना था जो कि पूर्ण है। 68 पूर्ण सेतुओं के पहुँच मार्ग पूर्ण किए जा चुके है। शेष सेतुओं का कार्य प्रगति पर है।

नाबार्ड-5 (आर0आई0डी0एफ0-5) के अन्तर्गत 39 सेतुओं को नाबार्ड द्वारा वित्त पोषण हेतु अनुमोदित किया गया है। जिसमें 34 सेतुओं की वित्तीय स्वीकृति रू. 48.21 करोड़ की धनराशि निर्गत हो चुकी है, जिसमें से 18 सेतुओं को पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। 18 पूर्ण सेतुओं में से 11 के पहुँच मार्ग पूर्ण किए जा चुके है। शेष सेतुओं पर कार्य प्रगति पर है।

नाबार्ड-7(आर.आई.डी.एफ.-7) के अन्तर्गत 95 सेतुओं के प्रस्ताव रू. 222.00 करोड़ के प्रेषित किये गये हैं जिसमें 38 सेतुओं का अनुमोदन नाबार्ड द्वारा किया जा चुका है। जिसमें से 13 सेतुओं की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति

निर्गत की जा चुकी है। जिनकी लागत रू. 26.23 करोड़ है। इन स्वीकृत सेतुओं में से 4 सेतुओं का कार्य प्रगति पर है। शेष को आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

नाबार्ड-9(आर.आई.डी.एफ.-9) के अन्तर्गत 152 सेतुओं के प्रस्ताव रू. 329.00 करोड़ के प्रेषित किए गए हैं।

12- <u>बी0ओ0टी0 योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य:-</u> उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नयी मार्ग विकास नीति की घोषणा वर्ष 1998 में की गयी थी। सेतु निगम को बी0ओ0टी0 स्कीम के अन्तर्गत मार्ग एंव सेतु के निर्माण हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया था। जनपद सोनभ्रद में सोन नदी पर एक सेतु का निर्माण बी0ओ0टी0 योजना के अन्तर्गत रू. 44 करोड़ लाख लागत का जनवरी 1999 में आरम्भ करके 01.01.2002 को पूर्ण कर यातायात के लिए खोल दिया गया है वर्तमान में कोई परियोजना बी0ओ0टी0 के अन्तर्गत निर्माणाधीन नही है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या 926 /म0प्र0 /बी0ओ0टी0 /(7) रि0फ0 /02-03, दिनांक 25.9.2002 के द्वारा रिवाल्विंग फण्ड के आधार पर 7 रेल उपरिगामी सेतुओं का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। इन सात रेल उपरिगामी सेतुओं की कुल लागत रू. 61.95 करोड़ हैं रिवाल्विंग फण्ड के आधार पर प्रस्तावित 7 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	हाइवे नम्बर	प्रस्तावित लागत (करोड़ में)
1-	मुजफ्फरनगर -सहारनपुर मार्ग	एस0एच0-59	8.94
2	मेरठ बिजनौर नजीबाबाद कोटद्वार पौढ़ी मार्ग	एस0एच0-47	13.01
3	बहराइच बाराबंकी हैदरगढ़ रायबरेली फतेहपुर बांदा मार्ग	एस0एच0-17	6.89
4	लखनऊ-रायबरेली प्रतापगढ़ वाराणसी	एस0एच0-36	7.55
5	बुलन्दशहर सियाना गढ़ मार्ग	एस0एच0-65	13.63
6	पीलीभीत बरेली बदॉयू सिकन्दराबाद मथुरा भरतपुर मार्ग	एस0एच0-33	4.44
7	सोनोली नौतनवा गोरखपुर बलिया मार्ग	एस0एच0-1	6.69
	योग :-		**61.15**

8- **लाभ/हानि की स्थिति :-**

सेतु निगम द्वारा वर्ष 2000-2001 के लेखों के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य रू. 275 करोड़ है एवं रू. 2.36 करोड़ का लाभ हुआ है। वर्ष 2002-03 में कुल कार्य रू. 164 करोड़(अनुमानित) है तथा इस वर्ष 25.68 करोड़ की हानि अनुमानित है। वर्ष 2000-2001 तक के लेखे पूर्ण हो चुके है एवं निगम का संचित लाभ रू. 14.42 करोड़ है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया। उस समय इस निगम का प्रदत्त अंशदान मात्र 5 लाख रू0 था जो कि वर्ष 1977 में बढ़कर 100 लाख रू0 कर दिया गया। निगम की अधिकृत अंश पूँजी 500 लाख रूपये है।

1. <u>निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्यः-</u>

प्रदेश एवं देश में विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण, भवनों का अनुरक्षण एवं आधुनिकीकरण, बैराज, डैम्स, एक्वाडक्ट,पुल, कल्वर्टस, रोडवेज का निर्माण, विद्युतीय एवं सेनेटरी इन्स्टालेशन, औद्योगिक परियाजनायें (तापीय विद्युत गृहों,कताई मिल,चीनी मिल, प्रासेस फैक्ट्री आदि) का कार्य, नगर एवं गॉव के विकास कार्यो में माध्यमिक स्कूल, डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय,आदि के निर्माण में सहभागिता निभाना है।

उपरोक्त के अलावा निगम राज्य सरकार की सड़कों,भवनों के अनुरक्षण आदि का कार्य भी कर सकता है ताकि आधुनिक प्रबन्धकीय प्रणाली से इनका निर्माण/ अनुरक्षण हो सके ।

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यो में मितव्ययता,गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ-साथ पारदर्शिता है।

इसी क्रम में, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित वेतन एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना एवं तकनीकी योग्यता धारक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी निगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

2- <u>निगम की कार्य प्रणालीः-</u>

निगम द्वारा समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते है जिसके अन्तर्गत सामग्री जैसे ईट, लोहा, सीमेन्ट आदि का क्रय जहॉ तक सम्भव है, सीधे निर्माताओं या अधिकृत वितरकों से किया जाता है। निर्माण के कार्य छोटे-छोटे श्रमिकों (पी. आर.डब्लू.) के माध्यम से किये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त दिल्ली, उड़ीसा महाराष्ट्र, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, हिमांचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिम बंगाल में निर्माण कार्य कर रहा है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निगम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

3. <u>संगठनात्मक ढॉचाः-</u>

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु इसे 8 कार्यकारी अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके अन्तर्गत 79-कार्यकारी इकाईयॉ कार्यरत हैं। मुख्यालय पर तकनीकी एवं वित्तीय समन्वय हेतु वास्तुविदीय विंग, परिकल्पना विंग, कम्पनी सचिव विंग,वित्त एवं लेखा विंग,वाणिज्य विंग, संविदा विंग एवं कार्मिक विंग स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक विंग का संचालन महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। जिनमें से यॉत्रिक व विद्युत विंग द्वारा परिकल्पना व समन्वय के कार्यो के साथ-साथ निर्माण इकाईयों के कार्यो पर सीधे नियंत्रण भी किया जा रहा है।

4- उपलब्धियाँ:-

विगत पाँच वर्षो में निगम द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति एवं किये गये कार्यो के टर्न-ओवर की उपलब्धि निम्न प्रकार रहीं:-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि (लाख रू0 में)
1998-99	27000	23197
1999-2000	30000	19292
2000-2001	31000	20123
2001-2002	26000	20392
2002-03	26000	24203

5- वित्तीय वर्ष 2003-2004 में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण:-

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में निर्माण निगम द्वारा रू0 27500 लाख के कार्य सम्पादन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध रू0 24046 लाख के कार्य दिसम्बर, 2003 तक कराये जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

(i) निक्षेप कार्य :-

निक्षेप कार्य के अर्न्तगत शासन के विभिन्न विभागों/ संस्थाओं के 879 कार्य निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रू0 22500 लाख लक्ष्य के विरूद्ध रू0 22608 लाख का कार्य दिसम्बर, 2003 तक निष्पादित कराया जा चुका है।

(II) निविदा कार्य :-

खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा एवं निगोशियेशन के आधार पर प्राप्त 129 निविदा कार्य निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रू0 5000 लाख लक्ष्य के विरूद्ध रू0 1438 लाख का कार्य दिसम्बर, 2003 तक निष्पादित कराया जा चुका है।

क्रम सं0	कार्य का प्रकार	सक्रिय कार्यो की संख्या	वर्ष का लक्ष्य लाख रूपये में	वित्तीय वर्ष, 2003-2004 में दिसम्बर, 2003 तक का टर्न ओवर लाख रूपये में	टिप्पणी
1.	निक्षेप कार्य	879	22500	22608	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एवं दिल्ली में कार्य किये जा रहे है।
2.	निविदा कार्य	129	5000	1438	उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चण्डीगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमांचल प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में कार्य किया जा रहा है।
	कुल योग:-	**1008**	**27500**	**24046**	

6. <u>वित्तीय वर्ष 2003-2004 में कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरण:-</u>

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में रू0 30000 लाख के कार्य अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2003 तक लगभग रू0 25650 लाख के निर्माण कार्य अर्जित किये गये हैं ।

7. लेखों की स्थिति:-

(अ)- निगम के वर्ष 2001-2002 तक के लेखे वार्षिक समान्य सभा में अंतिम हो चुके हैं। वर्ष 2002-2003 के लेखों को निदेशक मण्डल के समक्ष रखा जा चुका है तथा लेखे महालेखाकार, उ0प्र0 को टिप्पणी हेतु प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिस पर टिप्पणी अपेक्षित है।

(ब)- लाभ / हानि की स्थिति

वर्ष 2002-2003 में रू0 170.48 लाख की हानि हुई है। निगम का कुल संचित लाभ रू0 833.20 लाख है।

8. लागत में नियन्त्रणः-

निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य-मुख्य सामग्री उदाहरणार्थ सीमेन्ट, स्टील, केबिल, फिटिंग आदि की क्रय दरों का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है, जिससे सीमेन्ट तथा स्टील के क्रय में बचत हुई है।

9. गुणवत्ता नियन्त्रणः-

निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता पर प्रभावी नियन्त्रण के उद्देश्य से कार्य-स्थलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण सामग्रियों का परीक्षण किया जा रहा है। समय-समय पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण कराया जाता है।

10. कम्प्यूटरीकृत व आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणालीः-

निगम में आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से मुख्यालय द्वारा प्रभावी समीक्षा अनुश्रवण किया गया है। इसके अर्न्तगत मुख्यालय पर वाणिज्य, वित्त व लेखा, तकनीकी, वास्तुविदीय, व्यवस्थापन हेतु महाप्रबन्धक (मुख्यालय) विंग को प्रथम चरण में कम्प्यूटरीकृत किया गया तथा द्वितीय चरण में अंचलीय कार्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

तालिका "क"

वित्तीय आवश्यकतायें कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण रु भवन निर्माण (लो0नि0वि0)

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय (2002-03)			आय-व्ययक अनुमान (2003-04)			पुनरीक्षित अनुमान (2003-04)			आय-व्ययक अनुमान (2004-2005)		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अनुदान सं0 - 55												
1	अनावसीय भवन (भारित)												
	राज भवन												
(अ)	मूल निर्माण (4059)	-	35.06	35.06	-	97.21	97.21	-	97.21	97.21	-	-	-
(ब)	अनुरक्षण (2059)	-	107.40	107.40	-	112.40	112.40	-	112.40	112.40	-	122.60	122.60
(स)	योग (भारित)		142.46	142.46		209.61	209.61		209.61	209.61		122.60	122.60
2	अनावासीय भवन (मतदेय)												
(अ)	निर्माण (4059)	18.75	379.90	398.65	81.99	1214.13	1296.12	81.99	1214.13	1296.12	51.25	444.87	496.12
(ब)	अनुरक्षण और मरम्मत(2059)	2.50	2183.88	2186.38	5.07	2714.18	2719.25	5.07	2814.18	2819.25	5.07	4091.43	4096.50
(स)	योग (मतदेय)	21.25	2563.78	2585.03	87.06	3928.31	4015.37	87.06	4028.31	4115.37	56.32	4536.30	4592.62
	अना0 कुलयोग अनु0सं0 55	21.25	2706.24	2727.49	87.06	4137.92	4224.98	87.06	4237.92	4324.98	56.32	4658.90	4715.22
3	आवासीय भवन (भारित)												
	राज भवन												
(अ)	मूल निर्माण (भारित) (2216)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ब)	अनुरक्षण (भारित) (2216)	-	30.55	30.55	-	30.55	30.55	-	30.55	30.55	-	44.70	44.70
(स)	योग (भारित)		30.55	30.55		30.55	30.55		30.55	30.55		44.70	44.70
4	आवासीय भवन (मतदेय)												
(अ)	निर्माण (4216)	367.52	150.69	518.21	574.02	422.95	996.97	424.02	422.95	846.97	1408.48	148.25	1556.73
(ब)	अनुरक्षण और मरम्मत (2216)	-	1345.97	1345.97	-	1504.60	1504.60	-	1904.60	1904.60	-	2300.44	2300.44
(स)	योग (मतदेय)	367.52	1496.66	1864.18	574.02	1927.55	2501.57	424.02	2327.55	2751.57	1408.48	2448.69	3857.17
	आवा0 कुलयोग-अनु0सं0-55	367.52	1527.21	1894.73	574.02	1958.10	2532.12	424.02	2358.10	2782.12	1408.48	2493.39	3901.87
	योग -अनुदान सं0 - 55	388.77	4233.45	4622.22	661.08	6096.02	6757.10	511.08	6596.02	7107.10	1464.80	7152.29	8617.09

तालिका -ख

उद्देशानुसार वर्गीकरण (अनुदान संख्या- 54 लेखाशीर्षक 2059 लो0नि0 कार्य की सूचना)

(रू. लाख में)

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2002-03			आय-व्यय अनुमान 2003-04			पुनरीक्षित अनुमान 2003-04			आय-व्यय अनुमान 2004-05		
		आयोजनगत	आयाजनेत्तर	योग	आयोजनगत	आयाजनेत्तर	योग	आयोजनगत	आयाजनेत्तर	योग	आयोजनगत	आयाजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वेतन	39.57	32989.75	33029.32	35.76	33817.82	33853.58	35.76	33817.82	33853.58	38.00	38500.01	38538.01
2	मंहगाई भत्ता	17.41	10856.80	10874.21	20.56	13810.25	13830.81	20.56	13810.25	13830.81	22.42	15753.01	15775.43
3	यात्रा भत्ता	0.12	186.09	186.21	24.34	195.00	219.34	24.34	195.00	219.34	24.40	348.00	372.40
4	अन्य भत्ता	5.30	1883.68	1888.98	3.21	2151.60	2154.81	3.21	2151.60	2154.81	6.00	2670.01	2676.01
5	कार्यालय व्यय आदि	-	565.37	565.37	270.99	521.33	792.32	270.99	521.33	792.32	115.41	1929.62	2045.03
	योग :-	**62.40**	**46481.69**	**46544.09**	**354.86**	**50496.00**	**50850.86**	**354.86**	**50496.00**	**50850.86**	**206.23**	**59200.65**	**59406.88**

नोट :- 01 वेतन की मद में 05, 02 मजदूरी की धनराशि रू. 9800.00 लाख भी सम्मिलित है।

02 पुनरीक्षित अनुमान वित्तीय वर्ष 2003-04 के माह दिसम्बर तक प्राप्त बजट प्राविधान के अनुसार है।

03 आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-05 के कार्यालय व्यय आदि में रू. 950.61 लाख की धनराशि मजदूरी एरियर हेतु भी सम्मिलित है।

प्रशासनिक अधिकारी
बजट "क" वर्ग
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

तालिका "क"

अनुदान संख्या- 57

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्य कलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2002-03			आय- व्ययक अनुमान 2003-04			पुनरीक्षित अनुमान 2003-04			आय-व्ययक अनुमान 2004-05		
		आयोजागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राज्य लेखा 3054 सड़क तथा सेतु	0.00	0.00	**0.00**	0.00	400.00	**400.00**	0.00	400.00	**400.00**	0.00	780.00	**780.00**
2	पूंजीलेखा 5054 सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	**0.00**	21250.84	1248.39	**22499.23**	21250.84	1248.39	**22499.23**	17351.49	0.00	**17351.49**
	महायोग :-	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21250.84**	**1648.39**	**22899.23**	**21250.84**	**1648.39**	**22899.23**	**17351.49**	**780.00**	**18131.49**

तालिका ''क''

अनुदान संख्या- 58

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्य कलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2002-03			आय- व्ययक अनुमान 2003-04			पुनरीक्षित अनुमान 2003-04			आय-व्ययक अनुमान 2004-05		
		आयोजागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3054 सड़क तथा सेतु												
	(मतदेय)	0.00	66387.97	66387.97	0.00	72840.93	72840.93	0.00	72840.93	72840.93	0.00	94355.93	94355.93
	(भारित)	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00
2	4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	20.71	0.00	20.71	20.71	0.00	20.71	0.02	0.00	0.02
3	4225 अनुसूचित जातिया/जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7418.75	0.00	7418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
4	5054 सड़कों तथा सेतओं पर जेजीगत परिव्यय	74863.60	9850.30	84713.90	97907.01	7812.61	105719.62	97907.01	7812.61	105719.62	99021.04	0.00	99021.04
	(मतदेय)												0.00
	(भारित)	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	605.00	0.00	605.00
5	7075 अन्य परिव्यय सेवाओं के लिए कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98416.04	0.00	98416.04
	महायोग :-	82282.35	76243.27	158525.62	98477.72	80658.54	179136.26	98477.72	80658.54	179136.26	198042.11	94360.93	292403.04

तालिका -ग

वित्तीय साधनों के श्रोत

(रू. लाख-में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	वास्तविक व्यय 2002-03			आय-व्यय अनुमान 2003-04			पुनरीक्षित अनुमान 2003-04			आय-व्यय अनुमान 2004-05		
		आयोजनगत	आयाजनेत्तर	योग	आयोजनगत	आयाजनेत्तर	योग	आयोजनगत	आयाजनेत्तर	योग	आयोजनगत	आयाजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुदान संख्या-54	62.40	46481.69	**46544.09**	354.86	50496.00	**50850.86**	354.86	50496.00	**50850.86**	206.23	59200.65	**59406.88**
2	अनुदान संख्या-55	388.77	4233.45	**4622.22**	661.08	6096.02	**6757.10**	511.08	6596.02	**7107.10**	1464.80	7152.29	**8617.09**
3	अनुदान संख्या-57	0.00	0.00	**0.00**	21250.84	1248.39	**22499.23**	21250.84	1248.39	**22499.23**	17351.49	0.00	**17351.49**
4	अनुदान संख्या-58	82285.55	76243.27	**158528.82**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	98416.04	0.00	**98416.04**
	योग :-	**82736.72**	**126958.41**	**209695.13**	**22266.78**	**57840.41**	**80107.19**	**22116.78**	**58340.41**	**80457.19**	**117438.56**	**66352.94**	**183791.50**

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का संगठन 2002-2003 (उत्तरांचल के गठन के बाद दि0 01.06.2003 की स्थिति)

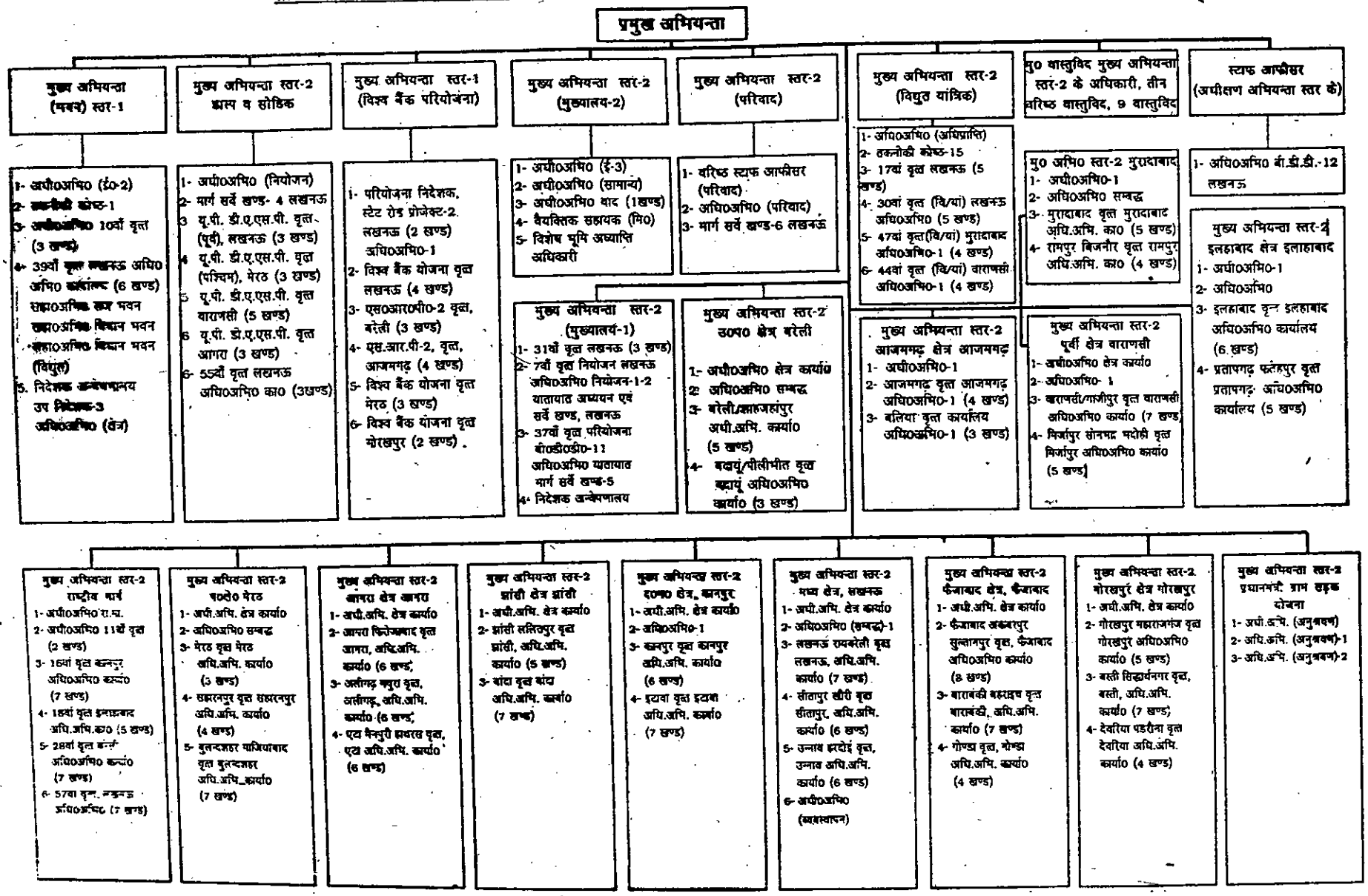

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 2 सा० लोक निर्माण-13-02-2004-(2239)—1200—(आफसेट)।